

मासिक बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 15.02.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कलक्ट्रेट स्थित सभागार में अपराह्न 03:00 बजे राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें:-

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा।
2. उप जिलाधिकारी, एटा, अलीगंज, जलेसर।
3. तहसीलदार, एटा/अलीगंज/जलेसर।
4. जिला अंबकारी निरीक्षक, एटा।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एटा।
6. प्रशासनिक अधिकारी, एटा।
7. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एटा।
8. न्याय सहायक, राजस्व सहायक, ई0आर0के0, सी0आर0ए0, नाजिर सदर, लोक शिकायत, आर0आर0के0, राजस्व सहायक-1, टी0ए0सी0, डी0एल0आर0सी0, मुख्यमंत्री सन्दर्भ लिपिक, एल0आर0सी0, जे0आर0के0, वित्त लिपिक, आयुध लिपिक।

बैठक में सर्वप्रथम समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि कार्यवृत्त का अनुपालन समयान्तर्गत किया जाय तथा उसका अनुश्रवण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।



उक्त बैठक में राजस्व एवं अन्य कार्यों में प्रभावी प्रगति लाये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. समस्त उप जिलाधिकारी को राशन के कोटेदारों के प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि भेरे द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की जा चुकी जिसका विस्तृत कार्यवृत्त भी निर्गत किया जा चुका है। अतः कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही करें।
(कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/जि0पू0 अ0/समस्त उपजिलाधिकारी)
2. राजस्व वाद
क. विवरण पत्र के अनुसार लगभग 2429 वाद निस्तारण हेतु लम्बित हैं, इससे आभास होता है कि मानक के अनुसार वादों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, निर्देशित किया जाता है कि अपर उप जिलाधिकारी सदर द्वारा 100 वाद समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक/समस्त नायव तहसीलदार आगामी माह में मानक से अधिक वादों का निस्तारण करते हुए अवशेष वादों में कमी लायें। आगामी तीन ताह में अवशेष वादों का प्रत्येक दशा में भात प्रतिशत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि धारा-143 जेड0ए0 का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाय। कोई प्रकरण निस्तारण हेतु अवशेष न रहे। साथ ही यह भी

निर्देशित किया जाता है कि अपर उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लम्बित समस्त पत्रावलियों का निस्तारण किया जाय।
ख. सभी पीठासीन अधिकारी तीन माह के अंदर शत-प्रतिशत राजस्व वादों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

ग. 122 बी अन्तर्गत तहसीलदार एटा 104, तहसीलदार अलीगंज 25, तहसीलदार जलेसर 44 तथा अपर तहसीलदार (न्यायिक) 98 प्रकरण स्तर पर लम्बित है। निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर समस्त वादों का निस्तारण किया जाय तत्पश्चात् निस्तारित वादों का निस्पादन भी एक माह के अन्दर किया जाय। यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त उप जिलाधिकारी प्रकरणों का अनुश्रवण अपने स्तर से करें।
(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) समस्त उपजिलाधिकारी)

3 आबंटन

क. समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पट्टों के आवंटन के सम्बन्ध में स्वयं मौके पर जाकर सत्यापन कर सन्तुष्ट होने के उपरान्त दिनांक 31.03.2017 तक लक्ष्य पूर्ण कराये।

4. लोहिया ग्राम

क. सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार तहसील के अन्तर्गत चयनित डाक्टर राम मनोहर लोहिया एवं जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम विकास योजना हेतु चयनित ग्रामों का भ्रमण कर कार्य की गुणवत्ता देखें एवं कार्य गुणवत्ता पूर्वक कराये।

ख. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद एटा को निर्देशित किया जाता है कि लेखपालों के माध्यम से ग्रामवार सम्पत्ति का रजिस्टर दिनांक 15.03.2017 तक तैयार कराकर अध्ययन स्थिति प्राप्त कर ली जाये।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / समस्त उपजिलाधिकारी)

5. आम आदमी बीमा योजना

आम आदमी बीमा योजना के लिए वर्कशाप का आयोजन किये जाने हेतु दिनांक 01.03.2017 नियत है। वर्कशाप का आयोजन होने से पूर्व सभी उप जिलाधिकारी लेखपालों की समीक्षा कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पत्र लाभार्थी वंचित रहने न पाये। जनपद में कुल 59869 भूमिहीन हैं, जिसमें से मात्र 10088 व्यक्तियों को दस योजना में शामिल किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि आम बीमा योजना एवं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के पात्रों की सूची लेखपालवार तैयार कराकर दिनांक 28.02.2017 तक उपलब्ध करायी जाय, कोई भी पत्र व्यक्ति छूटने न पाये।

(कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार)

6. संग्रह कार्य

वसूली विवरण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वसूली की स्थिति खराब है। अतः निर्देशित किया गया कि जिला स्तर पर पुराने बसूली प्रमाण पत्रों की कम्प्यूटर से डाटा एन्ट्री करायी जाय। समस्त उप जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि कम्प्यूटर पर उनके नाम से मार्क किये गये बसूली प्रमाण पत्रों को कम्प्यूटर पर अमीनवार मार्किंग/लॉगिन की जायेगी। यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा अमीनों की प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण के सम्बन्ध में जानकारी ली जाय, प्रत्येक दाखिला तिथि पर अमीनों के प्रत्येक बसूली प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाय तथा खराब एवं अच्छी बसूली करने वाले अमीनों को चिन्हित करें एवं कार्य विभाजन करे तथा उनके द्वारा दिये गये प्रोग्राम की जाँच भी की जाय। मोटर दुर्घटना के अन्तर्गत बसूली हेतु 133 बसूली प्रमाण पत्रों में कुल मु0 241,95,667-00 निहित धनराशि के सापेक्ष मु0 38,28,677-00 रु0 की बसूली की गयी, जो 15.82 प्रतिशत है। यह वसूली 12 वसूली मांग पत्रों से की गयी है। माह के अन्त में वसूली हेतु मु0 203,66,990-00 की धनराशि अवशेष है निर्देशित किया जाता है कि अवशेष धनराशि की वसूली हेतु विशेष ध्यान दिया जाय।
(कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार./नायब तहसीलदार)

7. महालेखाकार कीकुल 23 आडिट आपत्तियां तथा राजस्व परिशद की 693 आडिट आपत्तियां विभिन्न पटलों पर निस्तारण हेतु लम्बित हैं, इससे आभास होता है कि आडिट आपत्तियों के निस्तारण में रुचि नहीं ली जा रही है। सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि 03 वर्ष से ऊपर की समस्त आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार कर उसकी एक प्रति ई0आर0के0 कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय।
(कार्यवाही- सम्बन्धित समस्त प्रभारी अधिकारीण/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार /ई0आर0के0)
8. तहसील दिवस से सम्बन्धित एक माह से अधिक पुराने 118 प्रकरण अवशेष तथा जनता दर्शन/लोक शिकायत मासान्त तक प्राप्त कुल 785 शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं शासन/राजस्व परिषद/आयुक्त कार्यालय से प्राप्त 19 सन्दर्भ निस्तारण हेतु लम्बित हैं। निर्देशित किया जाता है कि लम्बित शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जाय।
(कार्यवाही-सम्बन्धित समस्त प्रभारी अधिकारीण/ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार /ई0आर0के0 /आई0जी0आर0एस0)
10. अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अनुभागों से सम्पर्क स्थापित कर पुनः उनकी मांग के अनुरूप कार्यालय उपयोग सामग्री तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय।
(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/समस्त उप जिलाधिकारी)
10. विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 09 प्रकरण लम्बित हैं। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कराया जाय।
(कार्यवाही अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) /प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय)
11. न्याय सहायक द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 144 प्रकरणों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु कठोर पत्र प्रेषित किया जाय।
(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/न्याय सहायक द्वितीय)
12. विवरण पत्र के अनुसार आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत लम्बित सन्दर्भों के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह सभी प्रकार के अवशेष सन्दर्भों का निस्तारण 03 दिवस के अन्दर करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार /आई0जी0आर0एस0)
13. चकबन्दी निदेशालय द्वारा बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा आलोच्य माह में कुल वादों के सापेक्ष माह में वादों का निस्तारण किया गया। चकबन्दी अधिकारी द्वारा जो वादों के सापेक्ष वादों का निस्तारण किया गया है वह मानक के सापेक्ष नहीं किया गया हैं। निर्देशित किया जाता है कि मानक के सापेक्ष निस्तारण किया जाये तथा 05-05 ग्रामों का निरीक्षण किया जाय। जिन गाँव में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसमें धारा 52 का प्रकाशन किया जाय।
(अपेक्षित कार्यवाही-बन्दोवस्त अधिकारी,एटा)
14. फौजदारी वादों का विवरण:-
क शस्त्र अधिनियम आलोच्य माह में 67 वाद अवशेष थे, माह में 139 वाद दायर हुआ। कुल 206 वाद के सापेक्ष 18 वादों निस्तारित किया गया। इस प्रकार कुल 188 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है।

- ख आबकारी एक्ट आलोच्य माह में प्रारम्भ में कुल 14 वाद अवशेष थे, माह में कोई वाद दायर नहीं हुआ है, इस प्रकार कुल 14 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है।
- ग गुण्डा एक्ट आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल 1202 वाद अवशेष थे, माह में कुल 1202 वादों के सापेक्ष 983 वादों का निस्तारण किया गया कुल 219 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है।
- घ गैगेस्टर एक्ट आलोच्य माह के प्रारम्भ में कोई वाद अवशेष नहीं है माह में कोई वाद दायर नहीं हुआ तथा माह में कोई वाद निस्तारित नहीं हुआ इस प्रकार कोई भी वाद निस्तारण हेतु अवशेष नहीं है।
- ङ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल 41 वाद अवशेष थे, माह में कोई वाद दायर नहीं हुआ। कुल 41 वादों के सापेक्ष 05 वादों का निस्तारण किया गया। कुल 36 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है।
- च धारा-145 (सीआरपीसी)- आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल 47 वाद निस्तारण हेतु अवशेष थे, माह में कुल 01 वाद दायर हुआ। कुल 48 अवशेष वादों के सापेक्ष 01 वाद का निस्तारण किया गया माह के अन्त में 47 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष वादों को 01 माह के अन्दर निस्तारित करें।
- छ धारा-133(सीआरपीसी)-आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल 40 वाद अवशेष थे, माह में कुल 00 वाद दायर किया गया। कुल 40 वादों के सापेक्ष 0 वाद का निस्तारण किया गया, 40 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माह में कोई निस्तारण नहीं किया गया है। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि वादों का निस्तारण करते हुये अवशेष वादों में कमी लायी जाय।

(कार्यवाही-समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट)/अपर उप जिला मजिस्ट्रेट)

15. दाखिल दफ्तर

- क. अभिलेखागार (राजस्व)
राजस्व वाद का निस्तारण कुल 3558 पत्रावलियां न्यायालयों के पास दाखिल दफ्तरी हेतु अवशेष हैं। माह में 1105 पत्रावलियां निस्तारित की गयीं। कुल 4463 पत्रावलियों के सापेक्ष 1115 पत्रावलियों दाखिल दफ्तर की गयीं। माह के अन्त में 3348 पत्रावलियां दाखिल दफ्तर हेतु अवशेष है। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि एक माह से अधिक पुरानी पत्रावलियां दाखिल दफ्तर हेतु अवशेष न रहें।
- ख अभिलेखागार फौजदारी-
माह के प्रारम्भ में कुल 1297 पत्रावलियां न्यायालयों के पास दाखिल हेतु अवशेष थीं तथा माह में चिन्हित 1085 कुल 2382 पत्रावलियों के सापेक्ष 1120 पत्रावलियां दाखिल दफ्तर की गयीं। माह के अन्त में 1262 पत्रावलियां दाखिल दफ्तर हेतु अवशेष है। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि एक माह से अधिक पुरानी पत्रावलियां दाखिल दफ्तर हेतु अवशेष न रहें।

(कार्यवाही-समस्त पीठासीन अधिकारी)

16. मजिस्ट्रीयल जांच:-

प्रस्तुत विवरण पत्र के अनुसार मजिस्ट्रीयल जांच के कुल 03 प्रकरण विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर जांच हेतु लम्बित है। माह में किसी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया इस प्रकार कुल 03 प्रकरण निस्तारण हेतु अवशेष है। उप जिलाधिकारी अलीगंज, 02 उप जिलाधिकारी जलेश्वर पर 01 प्रकरण लम्बित है। निर्देशित किया जाता है कि लम्बित प्रकरण का निस्तारण तत्काल किया जाय।

17. धारा-107/116(3)दण्ड प्रकिया सं०

धारा-107/116(3)दण्ड प्रकिया सं० के अन्तर्गत माह के प्रारम्भ में कुल 1161 तथा माह में 293 वाद दायर होने के बाद कुल 1454 के सापेक्ष माह में 57 वाद निस्तारित किये गये, अवशेष 1397 वाद निस्तारण हेतु लम्बित है। माह में निस्तारण, दायर वादों

के सापेक्ष कम किया गया है। सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है लम्बित प्रकरणों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाये।

(कार्यवाही-उप जिला मजिस्ट्रेट/ अपर उप जिला मजिस्ट्रेट/जे0आर0के0)

18. ई-गवर्नेन्स योजना

माह में कुल 16496 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 12118 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा 4378 प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु अवशेष है। निर्देशित किया जाता है कि अवशेष प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल किया जाय।

(कार्यवाही-ई0 डिस्ट्रीक मैनेजर)

शासन की प्राथमिकताओं में अंकित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुये बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासन के 20 सूत्रीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कार्यवाही समाप्त की गयी।

(विजय किरम आनन्द)
जिलाधिकारी, एटा

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

संख्या 1755/राजस्व सहायक द्वितीय -2017 दिनांक फरवरी 28, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन/वि0रा0)एटा।
2. जिला पूर्ति अधिकारी एटा।
3. सहायक महा निरीक्षक स्टाम्प, एटा।
4. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, एटा।
5. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, एटा।
6. समस्त उपजिलाधिकारी, एटा।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद जनपद की बेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त तहसीलदार/न्यायिक तहसीलदार, एटा।
9. समस्त नायब तहसीलदार, एटा।
10. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, /प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट, एटा।
11. समस्त सचिव मंडी समिति एटा।
12. समस्त पटल सहायक, कलेक्ट्रेट, वाराणसी।
13. समस्त न्यायालय के पेशकार/अहलमद फौजदारी प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
14. ई0डी0एम0, एटा।
15. पत्रावली।

(विजय किरम आनन्द)
जिलाधिकारी, एटा

7. महालेखाकार कीकुल 23 आडिट आपत्तियां तथा राजस्व परिषद की 693 आ॥७८ आपत्तियां विभिन्न पटलों पर निस्तारण हेतु लम्बित हैं, इससे आभास होता है कि आडिट आपत्तियों के निस्तारण में रुचि नहीं ली जा रही है। सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि 03 वर्ष से ऊपर की समस्त आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार कर उसकी एक प्रति ई0आर0के0 कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही- सम्बन्धित समस्त प्रमारी अधिकारीण/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार /ई0आर0के0)

8. तहसील दिवस से सम्बन्धित एक माह से अधिक पुराने 118 प्रकरण अवशेष तथा जनता दर्शन/लोक शिकायत मासान्त तक प्राप्त कुल 785 शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं शासन/राजस्व परिषद/आयुक्त कार्यालय से प्राप्त 19 सन्दर्भ निस्तारण हेतु लम्बित हैं। निर्देशित किया जाता है कि लम्बित शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जाय।
(कार्यवाही-सम्बन्धित समस्त प्रमारी अधिकारीण/ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार /ई0आर0के0 /आई0जी0आर0एस0)

10. अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अनुभागों से सम्पर्क स्थापित कर पुनः उनकी मांग के अनुरूप कार्यालय उपयोग सामग्री तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय।
(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/समस्त उप जिलाधिकारी)

10. विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 09 प्रकरण लम्बित हैं। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कराया जाय।
(कार्यवाही अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) /प्रमारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय)

11. न्याय सहायक द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 144 प्रकरणों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु कठोर पत्र प्रेषित किया जाय।
(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/न्याय सहायक द्वितीय)

12. विवरण पत्र के अनुसार आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत लम्बित सन्दर्भों के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह सभी प्रकार के अवशेष सन्दर्भों का निस्तारण 03 दिवस के अन्दर करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार /आई0जी0आर0एस0)

13. चकबन्दी निदेशालय द्वारा बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा आलोच्य माह में कुल वादों के सापेक्ष माह में वादों का निस्तारण किया गया। चकबन्दी अधिकारी द्वारा जो वादों के सापेक्ष वादों का निस्तारण किया गया है वह मानक के सापेक्ष नहीं किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि मानक के सापेक्ष निस्तारण किया जाये तथा 05-05 ग्रामों का निरीक्षण किया जाय। जिन गाँव में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसमें धारा 52 का प्रकाशन किया जाय।
(अपेक्षित कार्यवाही-बन्दोवस्त अधिकारी,एटा)

14. फौजदारी वादों का विवरण:-
शस्त्र अधिनियम आलोच्य माह में 67 वाद अवशेष थे, माह में 139 वाद दायर हुआ। कुल 206 वाद के सापेक्ष 18 वादों निस्तारित किया गया। इस प्रकार कुल 188 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है।

27/7/55 R.A.I. दिनांक 6/3/2017
To, N.J.C. (E.D.M.)
ETAM